यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर** के माह **09/2015** से **05/2017** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा, श्री ए.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खजान सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एंव श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.06.2017 से 12.06.2017 तक श्री **प्रेमचन्द**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1.(I) परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0 नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **16.09.2015** से **26.09.2015** तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **02/2014** से **08/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(II) वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **09/2015** से **05/2017** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **रूद्रपुर**

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त है:-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	–	–	87.97	87.97	2.32	2.32	–	–
2015-16	–	–	91.10	80.62	6.13	6.13	–	10.39
2016-17(4/17)	–	–	10958.00	10958.00	568.00	568.00	–	–

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

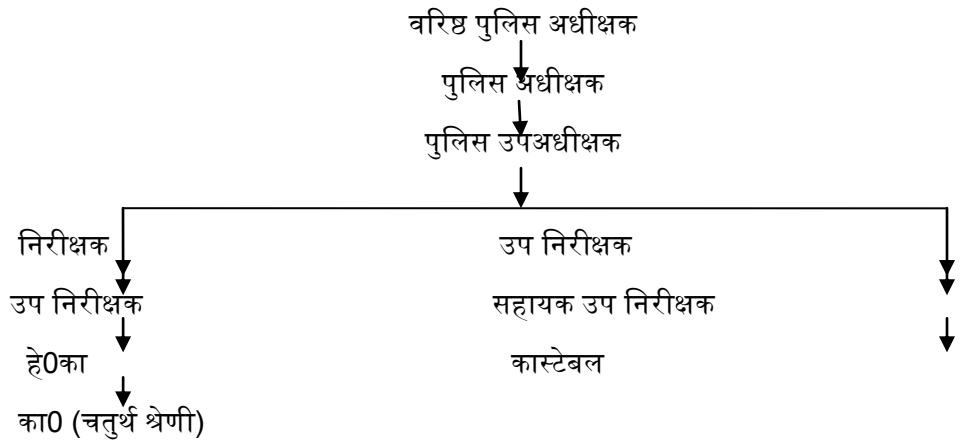

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन..... को आच्दादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः1- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 27.46 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 ix-1/81/2015/2016 दिनांक 9 अगस्त 2016 के बिन्दु 2 में बताये धारा 179 (i) अनुसार विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधो पर रू 500 वाहन स्वामी से प्रशमन कर सकेगें का प्रावधान है। लेकिन लेखापरीक्षा में थानों के प्रभारियों के मोटर वाहन अधिनियम पंजिकाओं की जांच में पाया गया है कि उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (i) के अन्तर्गत दिनांक 09 अगस्त 2016 को एवं इस तिथि के बाद भी वाहन स्वामियों से प्रमशन की राशि रू 100 लिया जा रहा था। इस प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर जिलें में विभाग को 6865 वाहन स्वामियों से रू 400 प्रति वाहन की दर से कुल रू27.46 लाख की राशि कम वसूली पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	थाना का नाम	अवधि	धारा सं0	चालान किए गये वाहनों की संख्या	चालान किये गये वाहनो से वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था	रु 400 कम वसूल की गई धनराशि
1	किच्छा	09/8/16से 5/17	179(i)	695	100	500	278000
2	दिनेशपुर	09/8/16से 5/17	179(i)	126	100	500	50400
3	पन्तनगर	09/8/16से 5/17	179(i)	426	100	500	170400
4	पुलमच्छा	09/8/16से 5/17	179(i)	197	100	500	78800
5	रूद्रपुर	09/8/16से 5/17	179(i)	689	100	500	275600

6	नानकमत्ता	09/8/16से 5/17	179(i)	825	100	500	330000
7	टाजिट कैम्प	09/8/16से 5/17	179(i)	233	100	500	93200
8	कुण्डा	09/8/16से 5/17	179(i)	221	100	500	88400
9	आई टी आई	09/8/16से 5/17	179(i)	159	100	500	63600
10	झनकईया	09/8/16से 5/17	179(i)	85	100	500	34000
11	जसपूर	09/8/16से 5/17	179(i)	282	100	500	112800
12	गदरपुर	09/8/16से 5/17	179(i)	183	100	500	73200
13	सितारगंज	09/8/16से 5/17	179(i)	271	100	500	108400
14	काशीपुर	09/8/16से 5/17	179(i)	636	100	500	254400
15	खटीमा	09/8/16से 5/17	179(i)	872	100	500	348800
16	केलाखेडा	09/8/16से 5/17	179(i)	540	100	500	216000
17	बाजपुर	09/8/16से 5/17	179(i)	425	100	500	170000
योगः				6865			2746000

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन करने हेतु संदर्भित थानों को शासनादेश के अनुसार वसूली किये जाने हेतु दिशानिर्देश किये जायेगें।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण शासनादेश में दिये गये धारा 179(i) के अनुसार धनराशि नही वसूल न किया गया है। जिस कारण कम राजस्व वसूल किया गया है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 27.46 लाख की धनराशि कम वसूल किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- रू 9.98 लाख की यातायात सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र डीजी-तीन-गोष्ठी/2017 दिनांक 18 जनवरी 2017 को पुलिस यातायात के सुदृढीकरण हेतु रू 10 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष रू 9.98 लाख की धनराशि व्यय कर दी गई है।

कार्यालय के यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि यातायात के सुदृढीकरण हेतु सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर रू 10 लाख में से रू 9.98 लाख सीओ0 सं0 1345 दिनांक 22.03.2016 द्वारा विभिन्न यातायात सामग्री पर क्रय कर लिया गया है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के प्रस्तर 12 (1) के अनुसार रू 3 लाख से रू 60 लाख तक की सामग्री का क्रय सीमित निविदा प्रकिया अपनाकर क्रय किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार आय कर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार रू 30000 से अधिक भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार विभाग द्वारा रू 9.98 लाख में 2 प्रतिशत की दर रू 19960 आयकर कटौती कर जमा कराये जाना था। जो कि नही किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि उत्तराखण्ड शासनादेश दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत सामग्री की आवश्यकतानुसार क्रय किया गया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा रू 9.98 लाख का यातायात सामग्री का क्रय टुकडे-2 में निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाना, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध है।

अतः रू 9.98 लाख की यातायात सामग्री का अनियमित क्रय किया जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः2- स्वीकृत से अधिक वाहन रखना।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के स्वीकृत वाहनों सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया है, कि जनपद ऊधमसिंहनगर में स्वीकृत वाहनों से अदिक वाहन उपलब्ध है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्र0 सं0	वाहन का नाम प्रकार	स्वीकृत नियतन	उपलब्ध	अधिक
1.	हल्का वाहन कार सहित	33	43	10
2.	ट्रप कैरियर 709/407, 207 या समकक्ष	2	8	6
3.	प्रिजन वैन बड़ा	2	5	3
4.	ब्रज वाहन	1	2	1

5.	बी0पी0 ट्रैक्टर	0	1	1
6.	क्रेन बड़ा	1	4	3
7.	मोटर साईकिल	14	64	50
	योग	53	127	74

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि उक्त वाहन जनपद में नये थानों का सृजन/सी0पी0यू0 एवं चीता पैट्रोलींग के आधार पर उपयोग हेतु उपलब्ध कराये गये हेतु स्वीकृत था, एवं उपलब्ध वाहनों का नियतन मुख्यालय स्तर से कराया जाता है। विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि कार्यालय द्वारा अभी तक अतिरिक्त वाहनों के सम्बंध में मुख्यालय के बिना स्वीकृत के ही स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रखे गये थे। तथा वाहनों का लेखापरीक्षा तिथि तक स्वीकृत नियतन का संशोधन नहीं कराया गया था।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> मोटर वाहन अधिनियम-1998 के अन्तर्गत शुल्क से प्राप्त राजस्व रू 16.92 लाख की धनराशि को विलम्ब से राजकोष में जमा कराया जाना।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि – **मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उ0एस0 नगर में संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को प्रति –दिन** एवं शेष जनपदों में उक्त धनराशि सप्ताह में एक बार राजकोष में जमा कराया जाये। प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण का रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान का प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च. अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ तिमाही में ऑडिट कराया जाये।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर की रोकडबही तथा जनपद के विभिन्न थानों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधितत संयोजन शुल्क पंजिकाओं के संलग्नक पृष्ठों तथा अन्य सम्बंधित अभिलेंखो की जांच में पाया गया कि माह मार्च 2016 में रू 4.07 लाख(संलग्नक परिशिष्ट-01) तथा फरवरी, 2016 एवं अक्टूबर, 2016 में रू 12.85 लाख(संलग्नक परिशिष्ट-02) अर्थात उक्त तीन माहों की कुल रू 16.92 लाख जनपद के विभिन्न थानों से पार्पत की गयी नगद धनराशि को 15- दिनों से 107-दिनों तक के विलम्ब/देरी से कार्यालय में जमा किया गया, जबकि मुख्यालय के निर्देशानुसार संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व की धनराशि को प्रत्येक दिन राजकोष में जमा करायी जानी थी। जिसके परिणामस्वरुप कार्यालय द्वारा न केवल मुख्यालय के निर्देशों का बल्कि सी0जी0ए0(प्राप्तियां एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम-18 का भी उल्लंघन किया गया था।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> संयोजन शुल्क के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व रू 374.38 लाख के लेखों (Account) का मुख्यालय के निर्देशों के विरूद्ध रख-रखाव किया जाना।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांकः जून 24, 2016 के पत्र संख्या – डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोंजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि –मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वारा, नैनीताल एवं उ0एस0 नगर में संयोजना शुल्क से प्राप्त धनराशि को प्रति- दिन एवं शेष जनपदों में उक्त धनराशि सप्ताह में एक बार (मंगलवार) को राजकोष में जमा कराया जायें। प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि मिलान प्रत्येक तीन माह (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ तिमाही में ऑडिट कराया जाये। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधित जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जाये। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के संयोजन शुल्क के सम्बंधित अभिलेखों की जांच में तथा प्राप्त सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कार्यालय द्वारा माह सितम्बर, 2015 से अप्रैल, 2017 तक जनपद के विभिन्न थानों से संयोजन शुल्क के अन्तर्गत रू 374.38 लाख नगद धनराशि प्राप्त करने के बाद बैंक चालान माध्यम से राजकोष में जमा करायी गयी थी।

उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यालय में संयोजन शुल्क की अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तरीय त्रैमासिक सम्प्रेक्षा नहीं करायी गयी थी न ही सम्प्रेक्षण की विस्तृत विवरण जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी थी, और न ही कार्यालय में त्रैमासिक विस्तृत विवरण का रख-रखाव किया जा रहा था, साथ ही छमाही रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय – देहरादून को भी प्रेषित नहीं की जा रही थी। उपर्युक्त आदेशानुसार प्रत्येक छमाही में सदर्भित रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ पुलिस विभाग में संयोजन शुल्क/ चालान से प्राप्ति राजस्व का मुख्य स्त्रोत है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः3- सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य रू 1.87 लाख की निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी न किया जाना।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर के वाहनों से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राजकीय वाहन संख्याः यू0ए0 06ए-8100 मेक/माडल स्कोर्ट क्रेन-2003 पंजीयन तिथि 23.04.2003 डीजल चलित वाहन सितम्बर, 2015 से खराब होने के कारण ऑफ-रोड़ हो गयी थी। उक्त वाहन अप्रैल 2017 को नियमित रूप से निष्प्रोज्य घोषित किया गया है, तथा दिसम्बर 2016 में सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक), उधमसिंहनगर द्वारा उक्त निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी हेतु न्यूनतम विक्रय मूल्य रू 187000/ निर्धारित/ आंकलित किया गया था। परन्तु उक्त वाहन निष्प्रोज्य घोषित होने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक नीलामी नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि उक्त वाहन की यथाशीघ्र नीलामी कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:4-</u> चालन बुक/ संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं के वितरण एवं वापसी पंजिका का उचित रख-रखाव न किया जाना।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ तिमाही में ऑडिट कराया जाये। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधिक जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जाये।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण एवं वापसी पंजिका की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 70-संयोजन शुल्क पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 2016-17(जून,2016 तक) में 68-संयोजन शुल्क पुस्तिका का वितरण जनपद के विभिन्न थानों को किया गया था, परन्तु एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जनपद के विभिन्न थानों द्वारा उक्त पुस्तिकाए(तृतीय प्रति) कार्यालय में उपलब्ध नही करायी गयी थी। विवरण संलग्नक **{परिशिष्ट-(अ), (ब) एवं (स)}** हैं। उक्त पंजिका में यह भी पाया गया कि पंजिका में पुस्तिकाओं के निर्गत करने की तिथि से सम्बंधित कॉलम भी नही दर्शाये गये हैं, तथा पंजिका के पृष्ठ संख्या-97 पर दिनांक 1.04.2015 को मुख्यालय से प्राप्त 450 संजोजन शुल्क पुस्तिकाए एवं पंजिका पृष्ठ संख्या-127 पर दिनांक 30.05.2015 को मुख्यालय से प्राप्त 1400-संयोजन शुल्क पुस्तिकाए के प्राप्ति का विवरण तथा पिछला अवशेष दर्ज करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया गया है, परन्तु पंजिका में किसी भी पृष्ठ पर कार्यालय द्वारा जनपद के थानों से पुरानी पुस्तिकाओं की वापसी का विवरण तथा रख-रखाव से सम्बंधित लेखाबन्दी नही की गयी है। जिसके परिणामस्वरूप जनपद के विभिन्न थानों से वापसी हेतु लम्बित पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए विगत एक वर्ष से अधिक समय से जनपद के विभिन्न थानों में पड़ी है। जबकि कई थानों द्वारा कार्यालय से पुरानी संयोजन शुल्क पुस्तिकाए वापसी किये बिना नई पुस्तिकाए निरन्तर प्राप्त कर रहे थे। जबकि विभाग में संयोजन शुल्क पुस्तिका/चालान बुकलेट राजस्व प्राप्त का मुख्य एवं प्रारम्भिक अभिलेख है, तथा एक पुस्तिका में 50 पृष्ठ/चालान होते है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा तथा एक पुस्तिका अधिक वितरित किये जाने के सम्बंध में अवगत करायें कि पंजिका का पुनः अवलोकन करने के बाद सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

परिशिष्ट – (अ)

वापसी न हुई संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं का विवरणः वित्तीय वर्ष 2015-16				
क्र0सं0	संयोजन शुल्क जारी/वापसी पंजिका के पृष्ठ संख्या	संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं के पृष्ठों का वितरण	थानों का नाम (जिसको पुस्तिका जारी की गयी है।)	तिथि (जिस तिथि को प्राप्तकर्ता न पुस्तिका प्राप्त की है।)
1.	18	674701 से 674750	सी0ओ0 बाजपुर	....10.2015
2.	32	675401 से 675450	सी0ओ0 काशीपुर	29.10.2015
3.	56	676601 से676650	एस0एच0ओ0 रूद्रपुर	12.11.2015
4.	73	677451 से 677500	एस0एच0ओ0 रूद्रपुर	2.11.2015
5.	76	677651 से 677700	एस0एच0ओ0 रूद्रपुर	02.11.2015
6.	77	677701 से 677750	एस0एच0ओ0 रूद्रपुर	02.11.2015
7.	111	679851 से 679900	रूद्रपुर	05.11.2015
8.	112	679901 से 679950	विरेन्द्र रमोला	05.11.2015
9.	180	685301 से 685350	सितारगंज	18.11.2015
10.	201	686351 से 686400	सी0ओ0 खटीमा	20.11.2015
11	241	683351 से 683400	गदरपुर	25.11.2015
12	262	684251 से 684300	यातायात कार्या0 रूद्रपुर	तिथि अंकित नहीं
13	291	680601 से 680650	सी0ओ0 काशीपुर	30.11.2015
14	324	690001 से 690050	एस0एच0ओ0 आर0डी0आर0	05.12.2015
15	326	690101 से 690150	एस0एच0ओ0 आर0डी0आर0	05.12.2015
16	327	690151 से 690200	एस0एच0ओ0 आर0डी0आर0	05.12.2015
17	328	690201 से 690250	एस0एच0ओ0 आर0डी0आर0	05.12.2015
18	329	690251 से 690300	एस0एच0ओ0 आर0डी0आर0	05.12.2015
19	431	775351 से 775400	सी0ओ0 काशीपुर	16.12.2015
20	439	775751 से 775800	काशीपुर	17.12.2015
21	465	777051 से 777100	बाजपुर	23.12.2015
22	479	777751 से 777800	आर0डी0आर0 रूद्रपुर	26.12.2015
23	481	777851 से 777900	बाजपुर	26.12.2015
24	483	777951 से 778000	बाजपुर	26.12.2015
25	484	778001 से 778050	बाजपुर	26.12.2015
26	499	778751 से 778800	जसपुर	28.12.2015
27	507	779151 से 779200	काशीपुर	30.12.2015
28	550	781801 से 781850	किच्छा	04.01.2016

29	565	783031 से 783100	केलाखड़ा	06.01.2016
31	570	783301 से 783350	किच्छा	08.01.2016
32	571	783351 से 783400	किच्छा	08.01.2016
33	623	784951 से 785000	पुलभट्टा	19.01.2016
34	625	672201 से 672250	पुलभट्टा	20.01.2016
	पंजिका के पृष्ठ संख्या-48 से 68 तक			
35	1	836001 से 836050	सितारगंज	20.01.2016
36	7	836301 से 836350	जसपुर	21.01.2016
37	8	836351 से 836400	रूद्रपुर	21.01.2016
38	38	890851 से 840900	किच्छा	तिथि अंकित नहीं
39	51	842001 से 842050	सिड़कुल	30.01.2016
40	73	842551 से 842600	कुण्डा	01.02.2016
41	93	84351 से 843600	किच्छा	04.02.2016
42	94	843601 से 843650	किच्छा	04.02.2016
43	95	843651 से 843700	किच्छा	04.02.2016
44	104	844101 से 844150	सितारगंज	तिथि अंकित नहीं
45	105	544151 से 844200	सितारगंज	तिथि अंकित नहीं
46	106	844201 से 844250	गदरपुर	तिथि अंकित नहीं
47	142	850001 से 850050	रूद्रपुर	19.02.2016
48	183	852051 से 852100	सितारगंज	तिथि अंकित नहीं
49	186	852201 से 852250	गदरपुर	26.02.2016
50	190	852401 से 852450	नारायण दत्त जोशी	तिथि अंकित नहीं
51	206	853201 से 853250	ट्रांजिट कैम्प	02.03.2016
52	218	853801 से 853850	एम0एस0जोशी	09.03.2016
53	219	853851 से 853900	एम0एस0जोशी	09.03.2016
54	229	854101 से 854150	रूद्रपुर	तिथि अंकित नहीं
55	231	854201 से 854250	रूद्रपुर	तिथि अंकित नहीं
56	235	854651 से 854700	बाजपुर	तिथि अंकित नहीं
57	236	854701 से 854750	बाजपुर	तिथि अंकित नहीं
58	247	855251 से 855300	केलाखड़ा	15.03.2016
59	251	855451 से 855500	गदरपुर	16.03.2016
60	252	855501 से 855550	गदरपुर	16.03.2016
61	258	855801 से 855850	खटीमा	16.03.2016
62	259	855851 से 855900	खटीमा	16.03.2016
63	273	860051 से 860100	एस0आई0 शेखचन्द	18.03.2016
64	292	861001 से 861050	किच्छा	28.03.2016
65	293	861051 से 861100	किच्छा	28.03.2016
66	298	861301 से 861350	बाजपुर	29.03.2016
67	303	861551 से 861600	बाजपुर	29.03.2016

68	308	861801 से 861850	किच्छा	30.03.2016
69	309	861851 से 861900	किच्छा	30.03.2016
70	311	861951 से 862000	सितारगंज	31.03.2016

परिशिष्ट – (ब)

वापसी न हुई संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं का विवरण: वित्तीय वर्ष 2016-17				
क्र0सं0	संयोजन शुल्क जारी/वापसी पंजिका के पृष्ठ संख्या	संयोजन शुल्क पुस्तिकाओं के पृष्ठों का वितरण	थानों का नाम (जिसको पुस्तिका जारी की गयी है।)	तिथि (जिस तिथि को प्राप्तकर्ता न पुस्तिका प्राप्त की है।)
पंजिका के पृष्ठ संख्या-68 से 80 तक				
1	315	862151 से 862200	किच्छा	02.04.2016
2	317	862251 से 862300	किच्छा	02.04.2016
3	334	863101 से 863150	श्री यशवंत पाल	06.04.2016
4	351	864001 से 864050	रूद्रपुर	11.04.2016
5	234	864751 से 864800	कुण्ड़ा	18.04.02016
6	369	865501 से 865550	आई0टी0आई0	21.04.2016
7	384	866051 से 866100	खटीमा	तिथि अंकित नहीं
8	396	866051 से 866500	गदरपुर	22.04.2016
9	402	866751 से 866800	रूद्रपुर	तिथि अंकित नहीं
10	406	866951 से 867000	किच्छा	26.04.2016
11	414	867001 से 867350	आई0टी0आई0	26.04.2016
12	429	868051 से 868100	काशीपुर	27.04.2016
13	444	868601 से 868650	रूद्रपुर	27.04.2016
14	447	868501 से 868550	रूद्रपुर	28.04.2016
15	448	846001 से 846050	रूद्रपुर	28.04.2016
16	449	846051 से 846100	रूद्रपुर	28.04.2016
17	452	846201 से 846250	गदरपुर	तिथि अंकित नहीं
18	454	846301 से 846350	बाजपुर	28.04.2016
19	461	869201 से 869250	आई0टी0आई0	29.04.2016
20	475	869851 से 869900	किच्छा	03.05.2016
21	479	870051 से 870100	ट्राजिट कैम्प	तिथि अंकित नहीं
22	487	870451 से 870500	किच्छा	04.05.2016
23	492	870701 से 870750	बाजपुर	06.05.2016

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
2012-12	शून्य	01	-
28/2015-16	शून्य	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अप्रस्तुत				

भाग 2 (ब) 1. अविवेकपूर्ण अनुबन्ध के फलस्वरुप रू 103.42 लाख का अलाभकारी व्यय।
2. निधियों का अवरोधन रु 26.12 लाख।
3. सेवा कर का सरकारी खाते में जमा न किया जाना रु 13.59 लाख।

STAN-

1. मुल्जिम डयटी हेतु प्रयोग में लाये जाने वाली वर्ष 2002 मॉडल आयशर ट्रकों को निष्प्रोज्य न किया जाना।

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर ,रूद्रपुर , तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

सतत् अनियमिततायेः- शून्य

2- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब मे
1	श्री नीलेश भरण	एस0एस0पी0	02.06.2014	08.10.2015
2	श्री केवल खुराना	एस0एस0पी0	08.10.2015	23.03.2016
3.	श्री अनन्त शंकर ताकवाले	एस0एस0पी0	25.03.2016	09.05.2016
4.	श्री कृष्ण कुमार वी0के0	एस0एस0पी0	09.05.2016	30.05.2016
5.	श्री अनन्त शंकर ताकवाले	एस0एस0पी0	30.05.2016	22.09.2016
6.	श्री सैन्थिल अबुदई कृणराज	एस0एस0पी0	22.09.2016	21.03.2016

7.	डा0 सदानंद दाते	एस0एस0पी0	22.03.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र